प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 268 सन 2021
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. जीताराम पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. राजाराम पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. भवंरलाल पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. कृष्णादेवी पुत्री स्व रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. शारदा देवी पुत्री स्व रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. धनश्याम पुत्र विधादेवी पुत्री रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. जयवीर पुत्र विधादेवी पुत्री रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/11/21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 608/603 की कुल 8.8171हैक एव खाता संख्या 62/60 की कुल 15.9350हैक एवं खाता संख्या 205/205 की कुल 11.4570हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामरख पुत्र जवालाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामरख पुत्र जवालाराम काफी अर्सा पूर्व अपने घर से निकल गये थे और आज दिनांक तक घर वापस नही आये है वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम वर्ष 1998 से गुम है जिनका कोई अता पता आज तक नही लगा है इसलिये वादी ने सिविल न्यायालय में वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम के लापता होने के कारण सिविल डैथ धोषित करवाने का वाद पेश किया गया था जिसमें सिविल न्यायालय ने दिनांक 31.05.2019 को निर्णय पारित किया जाकर वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम की सिविल डैथ होना धोषित किया जा चुका है।

वादी के पिता रामरख पुत्र जवानाराम की सिविल डैथ आर्थात मृत्यू धोषित हो चुकी है अर्थात वादी के पिता का देहान्त/मृत्यू हो चुकी है वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम के नाम से दर्ज है जिसके देहान्त /मृत्यू होना धोषित होने के कारण रामरख पुत्र जवालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के हकदार सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्याा 1 ता 8 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण की माता व रामरख की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण की बहन एवं रामरख की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादीगण की मृतक पुत्री बीधादेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामरख पुत्र जवालाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक रामरख पुत्र जवानाराम के नाम से दर्ज है जिसकी सिविल डैथ न्यायालय द्वारा

धोषित की जा चुकी है अर्थात वादीगण के पिता रामरख पुत्र जवानाराम का देहान्त हो चुका है रामरख पुत्र जवानाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 हे जा रामराख के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 608/603 की कुल 8.8171हैक्‍ एव खाता संख्या 62/60 की कुल 15.9350हैक्‍ एवं खाता संख्या 205/205 की कुल 11.4570हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामरख पुत्र जवालाराम के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक रामरख पुत्र जवानाराम के नाम से दर्ज है जिसकी सिविल डैथ न्यायालय द्वारा धोषित की जा चुकी है अर्थात वादीगण के पिता रामरख पुत्र जवानाराम का देहान्त हो चुका है रामरख पुत्र जवानाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 हे जा रामराख के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार उक्त कथन सही प्रतीत होता है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 608/603 की कुल 8.8171हैक्‍ भूमि रामरख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव खाता संख्या 62/60 की कुल 15.9350हैक्‍ एवं खाता संख्या 205/205 की कुल 11.4570हैक्‍ भूमि में रामरख के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में रामरख का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...धानसिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 कृष्ण कुमार पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 जीताराम पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2 राजाराम पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3 भवंरलाल पुत्र रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4 कृष्णादेवी पुत्री स्व रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5 शारदा देवी पुत्री स्व रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6 धनश्याम पुत्र विधादेवी पुत्री रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7 जयवीर पुत्र विधादेवी पुत्री रामरख जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 268 सन 2021 निर्णय दिनांक–29.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 608/603 की कुल 8.8171हैक भूमि रामरख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव खाता संख्या 62/60 की कुल 15.9350हैक एवं खाता संख्या 205/205 की कुल 11.4570हैक भूमि में रामरख के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में रामरख का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....धानसिया